कार्यालय–प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर

//दावा आपत्ति निराकरण की सूचना//

क्रमांक.3564/दो–12–11/2015 (परीक्षा सेल/भर्ती नियुक्ति समिति, रायपुर) रायपुर दिनांक 28/09/2026

इस जिला स्थापना में हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 के 03 पदों तथा सहायक ग्रेड–3 के 78 पदों की सीधी भर्ती हेतु दिनांक 24.07.2026 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके संबंध में आवेदकों के व्दारा इस कार्यालय में, माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर में आपत्ति प्रस्तुत की गई है, उक्त आपत्तियां निम्नानुसार तालिका में वर्णित कर उनका निराकरण किया गया है:–

क्र	पत्र दिनांक	आवेदक / आवेदकगण का नाम	आवेदक के व्दारा की गई आपत्ति का संक्षिप्त विवरण।	आपत्ति का निराकरण
1	छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 1691/ 21–अ/ सी.एम. पोर्टल/छ.ग./2026 रायपुर दिनांक 18.08.2026	आवेदक श्री शैलेन्द्र	जिला न्यायालय में स्नातक के अंकों के आधार पर मेरिट निकाल कर भर्ती की जा रही है, जिसमें कोरोना काल में स्नातक हुये आवेदकों को अधिक फायदा होगा तथा अन्य को नुकसान होगा। अतः अन्य न्यायालय के समान परीक्षा के आधार पर भर्ती किये जाने का निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई।
2	छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपर का ज्ञापन क्रमांक 1724/	श्री टिकेन्द कुमार	सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति संबंधी टाईपिंग प्रमाणपत्र को अनिवार्य योग्यता में शामिल नहीं	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई।

	21–अ/सी.एम. पोर्टल/ छ.ग./2026 रायपुर दिनांक 19.08.2026		किया गया है। अतः टाईपिंग गति संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य किये जाने का निवेदन किया गया है।	
3	माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक 14569/ तीन–18–27/2026/ डी.ई. बिलासपुर दिनांक 19.08.2026	श्री विजय कुमार पिता गणेश राम साकिन कोरबा, संजय साहू, पी. ज्ञानेश्रवर, नीलू कुमेटी, आशीष यादव, पिन्टू, दुर्गा धनकर, दीनू दीप, युगल किषोर, स्वाति राज, युगल राज, अमन, कन्हैया, पब्लो स्कोबर, नीरज देषमुख, सन्नी वर्मा, प्रशांत चन्द्राकर, करीन अली, हीना गोयल, रश्मि चावले, आयुशी गुमेश्वर, एकता बनवाले, रेशमा बनवाले, सावि धानेश्वर, लव कुमार साहू, बिकेश साहू, अरूण कुमार, पुनी राम निषाद, चन्द्रशेखर वर्मा, चेतन देवांगन, आकाश चन्द्रवंशी, विजय कुमार, रोशन कुमार,	(i) 1:15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाये जाने के स्थान पर सभी आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में, कोरोना महामारी के दौरान स्नातक हुये आवेदकों के स्नातक प्रतिशत को मेरिट का आधार नहीं बनाये जाने का निवेदन किया गया है। (ii) सहायक ग्रेड–3 के लिये कप्यूटर मुद्रलेखन कौशल प्रमाणपत्र का प्रावधान विज्ञापन में नहीं किये जाने के संबंध में।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।

		मनोज साहू, सन्नी वर्मा, योगेन्द्र कुमार, नितेश कुमार धीवर, खूबचंद वर्मा, आंचल क्षत्रिय, योगेन्द्र, सन्नी, शालिनी साहू		
4	माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक 14982/तीन–18–27/2026/डी.ई. बिलासपुर दिनांक 25.08.2026	आवेदक श्री सुमेध डोंगरे साकिन इंदिरा नगर वार्ड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव	कौशल परीक्षा में वेदमाता फॉण्ट के स्थान पर क्रुतिदेव फॉण्ट का विकल्प दिये जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने का निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
5	ई–मेल दिनांक 27.07.2027 01:20 बजे	आवेदक श्री कृष्णचंद श्रीवास, पंकज साहू, अंकित पाण्डेय, भनेश्वर देवांगन, पुनीराम निषाद, वासुदेव साहू, अंकित पाण्डेय, लव कुमार साहू, पी. रोहित, विक्रम राजपूत, सेनापति, रवि दास, जयदेव कुमार रेड्डी	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान किये जाने निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
6	ई–मेल दिनांक 27.07.2027 05:30 बजे	आवेदक श्री चंद्रशेखर वर्मा, श्री धीरज साहू, श्री हिमांशु महिलांगे, बलराम वर्मा, नेहा, श्रुति, श्री नीरज	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।

		कुमार देशमुख, विनायक कुमार सिंह	पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान किये जाने निवेदन किया गया है।	
7	ई–मेल दिनांक 28.07.2027	आवेदक श्री विनायक कुमार सिंह, श्री उज्ज्वल साहू, श्री शेख सिराजुद्दीन, श्री नोमेश, शीतल कुमारी, सन्नी वर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार ध्रुव एवं ई–मेल के माध्यम से अन्य आवेदक	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान किये जाने निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
8	आवेदनपत्र दिनांक 29.07.2026	आवेदकों के हस्ताक्षर अंकित परन्तु नाम अंकित नहीं	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान किये जाने निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।

9	आवेदनपत्र दिनांक 29.07.2026 12:10 बजे	श्री खेमेन्द्र	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान किये जाने निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
10	आवेदनपत्र दिनांक 30.07.2026	आवेदकगण क्रमशः श्री सुरेन्द्र कुमार ध्रुव, शीतल कुमार, अभिषेक पिल्ले, रमेश यादव, धनेश ढीढी, जितेन्द्र कुमार, तृप्ति साहू, दीप्ति कुमारी, नंदनी बघेल, अदिति साहू, दामिनी साहू, दीक्षा बघेल, तरूण बघेल, जयप्रकाश मानकर, कैलाश निषाद, कोमल साहू, क्षमता साहू, आशीष साहू, रविन्द्र भंडरी, मुस्कान बंजारे, कुनाल, मोनिका कंवर, मोनिका पटेल,	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान किये जाने निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।

		मोनिषा देवांगन, केशव कुमार, टिकेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र ध्रुव, विक्रम श्रीवास्तव, दीपक कुमार, बासदेव डांडे, बृज साहू, देवेन्द्र कुमार, हेमा डहरिया, पुनीराम निषाद, सुधीर टोप्पो, धनेश पुरी, शुभम विनायक, लाला साहू, आदित्य सिन्हा, नीरज देशमुख, टीकम बंजारे, हरिओम कश्यप, मनोहर ध्रुव, सूरज चन्द्राकर, बावदेव डांडे, शोमेष कुमार, निषेक बारले, खेमेन्द्र, नीरज कुमार देशमुख, पुष्पा देवांगन, आदित्य सिन्हा, रेणुका कन्नौजे, शुभम विनायक, धारणा साहू, लव कुमार साहू, दीपक लकड़ा, कार्तिकानंद, शंकर साहू, वर्षा बारीक, उमेश्वरी मरकाम,		

		अनुभव साहू, आरती सिन्हा, सुयोगिता, कालेश्वर कुमार, दीपेश वर्मा, तारकेश्वर बारले, नीतेश कुमार ध्रुव, रामानंद, सतीष कुमार श्रीवास, हरिओम कश्यप, अनुपम वर्मा, टिकेन्द्र चन्द्राकर, संजय निषाद, लव कुमार साहू, पवन कुमार पटेल, कृतिका ध्रुव		
11	आवेदनपत्र दिनांक 30.07.2026 03:20 बजे	आवेदक श्री नरेन्द्र जायसवाल, श्री अरूण कुमार	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान किये जाने निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
12	आवेदनपत्र दिनांक 30.07.2026 03:30 बजे	आवेदक श्री सुमीत कुमार अजय एवं अन्य आवेदन पत्र में नाम अंकित नहीं	सभी पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने बाबत् एवं स्नातक के आधार पर शार्ट लिस्ट करने के नियम में संशोधन करने बाबत्।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।

13	आवेदनपत्र दिनांक 01.08.2026 04:00 बजे	आवेदक श्री अजय कुमार शर्मा, श्री पालेश्वर पटेल,	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान किये जाने निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
14	आवेदनपत्र दिनांक 03.08.2026 01:15 बजे	आवेदक ज्ञानवी वर्मा	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान किये जाने निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
15	आवेदनपत्र दिनांक 04.08.2026	आवेदकगण क्रमशः हेमलता, आशीष चन्द्राकर, शैल, हिमानी यादव, अमीशा देवांगन, किरण देवांगन, आशीष, सरिता, वर्षा भारती, रेखा भोसले,	1:15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाये जाने के स्थान पर सभी आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में, कोरोना महामारी के दौरान स्नातक हुये आवेदकों के स्नातक प्रतिशत को	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।

		दामिनी बांधे, ऋषभ कुमार साहू, शालिनी साहू, याना मेश्राम, ओमेन्द्र नेताम, संतोष साव, तुलसी निषाद, अजय कुमार, रूचि बघेल, सुमित, डाली धनकर, लुकेश्वरी, राकेश कुमार, कोमल, प्रीति, झरना, हिमांशु महिलांग, त्रिभुवन प्रसाद, डामेन्द्र, रोशनी तामुरिया, श्री कमलेश यादव, याना मेश्राम, झरना साहू, श्री लोकेश कुमार, कंचन देवांगन, प्रीति अवसारिया, नेहा लहरे, ओदित्य कुमार, मेघा, श्री गौरव खरे, श्री मुकेश कुमार, श्री निलेश धृतलहरे, कोमल मंडावी	मेरिट का आधार नहीं बनाये जाने का निवेदन किया गया है।	
16	आवेदनपत्र दिनांक 04.08.2026 01:40 बजे	ई-मेल के माध्यम से आवेदक सैम साहू	1:15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाये जाने के स्थान पर सभी आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।

			में, कोरोना महामारी के दौरान स्नातक हुये आवेदकों के स्नातक प्रतिशत को मेरिट का आधार नहीं बनाये जाने का निवेदन किया गया है।	
17	आवेदनपत्र दिनांक 05.08.2026 01:20 बजे	आवेदक नेहा लहरे	1:15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाये जाने के स्थान पर सभी आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में, कोरोना महामारी के दौरान स्नातक हुये आवेदकों के स्नातक प्रतिशत को मेरिट का आधार नहीं बनाये जाने का निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
18	आवेदनपत्र दिनांक 05.08.2026	आवेदकगण क्रमशः काजल चोरवान्द्रे, अंजली बलराम, सौम्या सिंह ठाकुर, जया साहू	1:15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाये जाने के स्थान पर सभी आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
19	आवेदनपत्र दिनांक 10.08.2026	आवेदकगण क्रमशः श्री हेमंत, श्री निलेश एवं श्री अमित	1:15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाये जाने के स्थान पर सभी आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।

20	आवेदनपत्र दिनांक 12.08.2026	आवेदकगण क्रमशः श्री फरीन अली, हीना गोयल, रश्मि चावले, आयुषी, गोमेश्वर, एकता बनवाले, रेश्मा बनवाले, सावि धनेश्वर	1:15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाये जाने के स्थान पर सभी आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में, कोरोना महामारी के दौरान स्नातक हुये आवेदकों के स्नातक प्रतिशत को मेरिट का आधार नहीं बनाये जाने का निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
21	आवेदनपत्र दिनांक 13.08.2026	आवेदक श्री लव कुमार साहू	(i) सभी पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया गया है। (ii) टंकन और शीघ्रलेखन हेतु मान्यता प्राप्त संस्था अथवा सी.टी.एस.पी. का प्रमाणपत्र अनिवार्य किये जाने का निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
22	आवेदनपत्र दिनांक 13.08.2026 05:05 बजे	आवेदकगण क्रमशः श्री ताम्रध्वज साहू, श्री चेतन देवांगन, श्री कृष्ण चंद्र श्रीवास	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।

			परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया गया है।	
23	आवेदनपत्र दिनांक 20.08.2026 03:40 बजे	आवेदकगण क्रमशः सोनम यादव, श्री अंकित पाण्डेय, श्री नेतराम साहू, सावित्री सारंग, श्री योगेश कुमार, श्री मुकेश कुमार साहू, श्री लालाराम, श्री यज्ञ कुमार यादव, श्री दीपेश कुमार टंडन, श्री अभिषेक पिल्लई, श्री गगन श्रीवास्तव, श्री कृष्ण श्रीवास, युवराज सोनकर, वासुदेव साहू	(i) कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया गया है। (ii) लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा उन तिथियों पर आयोजित नहीं किया जाये जिसमें छ.ग. के अन्य न्यायालय अथवा राज्य स्तरीय परीक्षा अथवा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा हो।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
24	आवेदनपत्र दिनांक 21.08.2026	आवेदक श्री राजेश दुबे	प्रश्नपत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनो भाषाओं में दिये जाने के संबंध निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।
25	आवेदनपत्र दिनांक 07.09.2026 03:50 बजे	आवेदक माया	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।

			में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया गया है।	
26	आवेदनपत्र दिनांक 17.09.2026	आवेदकगण राहुल निषाद एवं अन्य के केवल हस्ताक्षर है नाम अंकित नहीं है	कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण और उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया गया है।	विचार उपरांत आपत्ति निरस्त की गई ।

आपत्ति क्रमांक क्रमशः 1, 3(i), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21(i), 22, 23(i), 25, 26 का निराकरण –

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित आपत्ति क्रमांक क्रमशः 1, 3(i), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21(i), 22, 23(i), 25, 26 समान प्रकृति के होने के कारण एवं पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से निराकरण एक साथ किया गया है ।

उक्त आपत्तियों पर विचार किया गया ।

उक्त आपत्तियों के अनुसार कोरोना काल के अभ्यर्थियों के द्वारा गृह निवास से स्नातक परीक्षा देने के कारण उनका स्नातक में अधिक अंक होने एवं मेरिट में फायदा पहुंचने के कारण 1:15 के स्थान पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान किये जाने का

निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय की ओर, इस कार्यालय से जारी किये जाने वाले विज्ञापन की प्रति कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक–862/दो–11–12/2015 दिनांक–20 फरवरी, 2026 के व्दारा प्रेषित की गई थी तथा विज्ञापन जारी किये जाने की तिथि तथा आवेदन पत्रों के प्राप्ति की अंतिम तिथि की भी सूचना कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक–2792/दो–11–12/2015 दिनांक–22 जुलाई, 2026 के व्दारा दी गई थी, अतः विज्ञापन प्रारूप की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, जिसके बाद ही समिति के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छ.ग. द्वारा जारी सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन की कंडिका–''नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया'' में निम्नानुसार निर्देश है कि ''हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 एवं सहायक ग्रेड–3 के आवेदित पदों के लिए दो चरणों में परीक्षा आयोजित की जावेगी। वर्गवार आवेदित पद की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आवेदित पद के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर अंनतिम पात्र सूची तैयार की जाकर उक्त सूची जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाईट पर जारी की जाएगी।''

विज्ञापन में वर्णित उपरोक्त चयन प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई पक्षपात या भेदभाव चयन के किसी भी स्तर पर होने की कोई संभावना नहीं है बल्कि अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में आवेदित अभ्यर्थियों में से उच्च गुणवत्ता के अभ्यर्थियों के चयन हेतु उक्त प्रक्रिया निर्धारित की गई है । वर्तमान में सहायक ग्रेड 3 के 78 पद एवं स्टेनोग्राफर हिन्दी के 3 पद कुल 81 पदों के विरूद्ध लगभग 210 गुना 17043 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिस कारण उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार प्राप्त आवेदनों को स्नातक में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु शार्ट लिस्ट किया जाना है।

इसके अतिरिक्त जहां तक कोरोना काल में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों को अधिक अंक पाने के संबंध में संबंधित शिकायतकर्ता/आवेदनकर्ताओं द्वारा की गई आपत्ति का प्रश्न है, तत्संबंध में उपरोक्त आपत्ति मात्र आशंका पर आधारित होना दर्शित होता है, जिसके आधार पर इस स्तर पर

भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः यह समिति विज्ञापन में जारी निर्देश के अनुपालन में उपरोक्त आपत्तियों को आधारहीन मानते हुए उनका निवेदन निरस्त करना उचित समझती है। अतः उपरोक्त आपत्ति क्रमांक क्रमशः 1, 3(i), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21(i), 22, 23(i), 25, 26 निरस्त की जाती है। तदनुसार उपरोक्त आपत्ति आवेदन निराकृत ।

आपत्ति क्रमांक क्रमशः–2, 3(ii), 21(ii) का निराकरण–

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित आपत्ति क्रमांक क्रमशः 2, 3(ii), 21(ii) समान प्रकृति के होने के कारण एवं पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

उक्त आपत्तियों पर विचार किया गया ।

उक्त आपत्तियों के अनुसार विज्ञापन में कम्प्युटर मुद्रलेखन कौशल प्रमाण पत्र का प्रावधान नहीं किया गया है तथा सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति संबंधी टाईपिंग प्रमाणपत्र को अनिवार्य योग्यता में शामिल नहीं किया गया है एवं टंकन और शीघ्रलेखन हेतु मान्यता प्राप्त संस्था अथवा सी.टी.एस.पी. का प्रमाणपत्र अनिवार्य किये जाने का निवेदन किया गया है।

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 06.10.2023 छ.ग. जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें), कर्मचारी नियम, 2023 के अनुसूची 2 नियम 6 की कंडिका 18 की उपकंडिका ''बी'' में अनिवार्य योग्यता में स्नातक के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय में कम्प्युटर कोर्स में 1 वर्षीय डिप्लोमा की मांग किया जाना निर्धारित किया गया है, तथा कम्प्युटर में हिंदी एवं अंग्रजी मुद्रलेखन का ज्ञान होना उल्लेखित किया गया है, जिसके आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। उपरोक्त भर्ती एवं सेवा शर्तो में टायपिंग प्रमाण पत्र अनिवार्य होना वर्णित नहीं है। चूंकि कार्यालयीन विज्ञापन में हिन्दी कम्प्युटर टायपिंग में 5000 की–डिप्रेशन की गति के संबंध में कौशल परीक्षा लिये जाने का

स्पष्ट उल्लेख किया गया है, इसलिए पृथक से प्रमाण पत्र की मांग किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः यह समिति उपरोक्त आपत्तियों को आधारहीन मानते हुए उनका निवेदन निरस्त करना उचित समझती है। अतः उपरोक्त **आपत्ति क्रमांक क्रमशः 2, 3(ii), 21(ii)** निरस्त की जाती है। तदनुसार उपरोक्त आपत्ति आवेदन निराकृत ।

आपत्ति क्रमांक 4 का निराकरण–

उक्त आपत्ति पर विचार किया गया ।

उक्त आपत्ति के अनुसार कौशल परीक्षा में वेदमाता फॉण्ट के स्थान पर क्रुतिदेव फॉण्ट का विकल्प दिये जाने का निवेदन किया गया है।

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के ज्ञापन 14947/सी.पी.सी./2022 बिलासपुर दिनांक 07.12.2022 के द्वारा छ.ग. राज्य के सभी न्यायालयों में दैनिक कार्य हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा हेतु यूनिकोड फॉन्ट उपयोग किये जाने एवं टी.टी.एफ. फॉन्ट का उपयोग नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः तत्संबंध में कौशल परीक्षा उबन्टू लायनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड फॉन्ट में ही लिया जाना उचित है। अतः उपरोक्त **आपत्ति क्रमांक 4** स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त आपत्ति आवेदन निराकृत ।

आपत्ति क्रमांक 23(ii) का निराकरण –

उक्त आपत्ति पर विचार किया गया ।

उक्त आपत्ति के अनुसार लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा उन तिथियों पर आयोजित नहीं किया जाये जिसमें छ.ग. के अन्य न्यायालय अथवा राज्य स्तरीय परीक्षा अथवा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा हो।

जिला स्थापना में विज्ञापित पदों की भर्ती परीक्षा अभी प्रक्रियाधीन है और इस स्तर पर लिखित एवं कौशल परीक्षा के आयोजन की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। उक्त परीक्षा की तिथि

निर्धारित किये जाने पर अभ्यर्थियों को इसकी सूचना कार्यालयीन वेबसाईट के माध्यम से पृथक से प्रदान की जायेगी। अतः इस स्तर पर उक्त **आपत्ति क्रमांक** 23(ii) स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त आपत्ति आवेदन निराकृत ।

<u>आपत्ति क्रमांक 24 का निराकरण</u> –

उक्त आपत्ति पर विचार किया गया ।

उक्त आपत्ति के अनुसार प्रश्नपत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनो भाषाओं में दिये जाने के संबंध में।

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के अंतर्गत समस्त जिला न्यायालयों में हिंदी में कार्य संपादित किया जाता है तथा आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें हिंदी का पर्याप्त ज्ञान हो। परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा हिन्दी में ही कार्य किया जाना है इसलिए लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः **आपत्ति क्रमांक 24** स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त आपत्ति आवेदन निराकृत ।

अतः शिकायतकर्तागण/आवेदकगण को सूचित किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार दावा आपत्ति निराकरण की सूचना कार्यालय के वेबसाईट में अपलोड की गई है ।

28.9.2026

रायपुर दिनांक 28.09.2026

अध्यक्ष
भर्ती एवं नियुक्ति समिति
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर